

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 58/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 तुलछी राम फोफलिया पुत्र लाल चन्द फोफलिया निवासी पुलिस थाने के पीछे, मेडता रोड नागौर। मैसर्स:- महेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, स्टेशन रोड, मेडता रोड, नागौर। 2 सुरेश प्रकाश फोफलिया पुत्र लाल चंद फोफलिया, मालिक निवासी माताजी कॉलोनी, मेडता रोड, नागौर। मैसर्स:- महेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, स्टेशन रोड, मेडता रोड, नागौर।

आदेश

दिनांक :08.03.2025

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 29-08-2024 को मैसर्स महेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी, स्टेशन रोड, मेडता रोड, नागौर पर खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (लूज) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 3128 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/979/एक्ट /2024/1005 दिनांक 06.09.2024 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (लूज) is prohibited as it contravene Regulation No. 2.3.15.(1)(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 as it sold in loose condition होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण तुलछी राम फोफलिया पुत्र लालचन्द फोफलिया निवासी पुलिस थाने के पीछे, मेडता रोड, नागौर व सुरेश प्रकाश फोफलिया पुत्र लाल चंद फोफलिया, मालिक निवासी माताजी कॉलोनी, मेडता रोड, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (v) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 18-11-2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 08.03.2025 को अपना जवाब प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी फर्म से रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (लूज) का सैम्पल लिया जो जांच में लूज स्थिति में होना पाया गया, भविष्य में रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (लूज) बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेंगे। अप्रार्थीगण ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/979/एक्ट /2024/1005 दिनांक 06.09.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (लूज) का नमूना is prohibited as it contravene Regulation No. 2.3.15.(1)(b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 as it sold in loose condition होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (v) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण तुलछी राम फोफलिया पुत्र लालचन्द फोफलिया निवासी पुलिस थाने के पीछे, मेडता रोड, नागौर व सुरेश प्रकाश फोफलिया पुत्र लाल चंद फोफलिया, मालिक निवासी माताजी कॉलोनी, मेडता रोड, नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते हैं तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/3/25
(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
नागौर (राजस्थान)